रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 1994/आषाढ़ 16, 1916
No. 350] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 1994/ASADHA 16, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

प्रमुख समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय

अधिसूचना

बम्बई, 23 जून, 1994

सं. 3/94—सीमा शुल्क (एन. टी.)

का. आ. 507 (अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 4-10-1990 की अधिसूचना सं. 64/90—एन.टी. सीमा शुल्क द्वारा तथा दिनांक 18-6-1990 की अधिसूचना सं. 34/90—सीमा शुल्क एन. टी. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिला, वसई तालुका के गाँव वलिव को, शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई (100 ई.ओ.यु.) स्थापित करने के अभिप्राय हेतु भाण्डागारण स्थल घोषित करता हूं।

[फा. सं. VIII/40-02/पी सी.यू./बी सी एक्स/94/1910]

एस. डी. मोहिले, प्रमुख समाहर्ता

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE PRINCIPAL COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION

Bombay, the 23rd June, 1994

[No. 3|94-Customs (NT)]

S.O. 507(E).—In exercise of the powers conferred by the Notification No. 34|90 Customs (NT) dated 18-06-1990 as amended by Notification No. 64|90 Customs (NT) dated 04-10-1990 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi. Village Valiv, Tal Vasai, Dist Thane in the State of Maharashtra, is hereby declared to be a Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the purpose of setting up hundred percent export oriented units (100 per cent E.O.U's).

[F. No. VIII|40-2|PCU|BCX|94|1910]
S. D. MOHILE, Principal Collector

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994